

ଇସ୍ଲାମ୍‌ ନେ ମହିଳାଠାଂ କୋ ଆଦମ୍‌ କେ ପାପ୍‌ କେ ବୋଝ୍‌ ସେ ମୁକ୍ତ୍‌ କରକେ ଉନ୍ହେଁ ସମ୍ମାନିତ୍‌ କିଆ, ଜବକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମୋଁ ମେଁ ଉସେ ଇସ୍‌ସେ ମୁକ୍ତ୍‌ ନହିଁ କିଆ ଗ୍ୟା ହେ ।

ଇସ୍ଲାମ୍‌ ମେଁ ହେ କି ଅଲ୍ଲାହ୍‌ ନେ ଆଦମ୍‌ -ଅଲୈହିସ୍‌ସଲାମ୍‌- କୋ କ୍ଷମା କର ଦିଆ ଓର୍‌ ହମେଁ ସିଖାୟା କି ଯଦି ଜୀବନ ମେଁ କभी ମି ପାପ୍‌ ହୋ ଜାଏ୍‌ ତୋ ହମ୍‌ ଉସକୋ କୈସେ କ୍ଷମା କରବା ସକତେ ହେଁ ।

"ଫିର ଆଦମ୍‌ ନେ ଅପନେ ପାଲନହାର୍‌ ସେ କୁଚ୍ଛ୍‌ ଶବ୍ଦ୍‌ ସିଖ୍‌ ଲିଏ, ତୋ ଉସନେ ଉସକି ତୌବା କ୍ରବୂଲ୍‌ କର ଲି । ନିଶ୍ଚୟ୍‌ ବହି ହେ ଜୋ ବହୁତ୍‌ ତୌବା କ୍ରବୂଲ୍‌ କରନେ ବାଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ୍‌ ଦୟାବାନ୍‌ ହେ ।" [213] [ସୂରା ଅଲ୍‌ ବକ୍କରା : 37]

ମସିହ୍‌ କି ମାଁ ମର୍ୟମ୍‌ ଏକ୍‌ମାତ୍ର୍‌ ଏସି ଓର୍‌ତ୍‌ ହେଁ, ଜିସକା ଉଲ୍ଲେଖ୍‌ ପବିତ୍ର୍‌ କୁରାନ୍‌ ମେଁ ଉସକେ ନାମ୍‌ କେ ସାଥ୍‌ କିଆ ଗ୍ୟା ହେ ।

କୁରାନ୍‌ ମେଁ ଉଲ୍ଲିଖିତ୍‌ କର୍‌ କହାନିୟୋଁ ମେଁ ମହିଳାଠାଂ ନେ ପ୍ରମୁଖ୍‌ ଭୂମିକା ନିଭାଝି ହେ । ଜୈସା କି ସବା କି ରାନି ବିଲକ୍ରିସ୍‌ ଓର୍‌ ପୈଗ୍‌ବର୍‌ ସୁଲୈମାନ୍‌ -ଅଲୈହିସ୍‌ସଲାମ୍‌- କେ ସାଥ୍‌ ଉନକି କହାନି, ଜୋ ଉନକେ ଈମାନ୍‌ ଲାନେ ଓର୍‌ ସାରେ ସଂସାର୍‌ କେ ପାଲନହାର୍‌ କେ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ୍‌ କେ ସାଥ୍‌ ସମାପ୍ତ୍‌ ହୁଈ । ଜୈସା କି ପବିତ୍ର୍‌ କୁରାନ୍‌ ମେଁ କହା ଗ୍ୟା ହେ : "ନି:ସନ୍ଦେହ୍‌ ମୈନେ ଏକ୍‌ ମହିଳା କୋ ପାୟା, ଜୋ ଉନପର୍‌ ଶାସନ କର ରହି ହେ ତଥା ଉସେ ହର୍‌ ଚିଜ୍‌ କା ହିସ୍‌ସା ଦିଆ ଗ୍ୟା ହେ ଓର୍‌ ଉସକେ ପାସ୍‌ ଏକ୍‌ ବଝା ସିଂହାସନ ହେ ।" [214] [ସୂରା ଅଲ୍‌-ନମ୍ଲ : 23]

ଇସ୍ଲାମି ଇତିହାସ୍‌ ହମେଁ ବତାତା ହେ କି ପୈଗ୍‌ବର୍‌ ମୁହମ୍ମଦ୍‌ -ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି ବ୍‌ ସଲ୍ଲମ୍‌- ନେ ବହୁତ୍‌ ସାରି ଚିଜ୍‌ଠାଂ ମହିଳାଠାଂ ସେ ପରାମର୍ଶ୍‌ କିଆ ଓର୍‌ ଉନକି ରାୟ ଲି । ଇସି ତରହ୍‌ ଆପନେ ମହିଳାଠାଂ କୋ ମି ପୁରୁଷୋଁ କି ତରହ୍‌ ମସ୍‌ଜିଦୋଁ ମେଁ ଆନେ କି ଅନୁମତି ଦି, ବଶର୍ତ୍ତେକି ବେ ଶାଲିନତା କା ପାଲନ କରେ, ଲେକିନ୍‌ ଜ୍ଞାତ୍‌ ହୋ କି ଉନକେ ଲିଏ୍‌ ଅପନେ ଘର୍‌ ମେଁ ନମାଜ୍‌ ପଢ଼ନା ହି ବେହତର୍‌ ହେ । ମହିଳାଏଁ ପୁରୁଷୋଁ କେ ସାଥ୍‌ ଯୁଦ୍ଧୋଁ ମେଁ ଭାଗ୍‌ ଲେତି ଥିଁ ଓର୍‌ ଜର୍‌ଖିମିୟୋଁ କି ଦେଖଭାଲ୍‌ ମେଁ ସହାୟତା କରତି ଥିଁ । ଇସି ତରହ୍‌ ବେ ବାଣିଜ୍ଞିକ୍‌ ଲେନ-ଦେନ ମେଁ ମି ଶାମିଲ୍‌ ହୋତି ଥିଁ ଓର୍‌ ଶିକ୍ଷା ଓର୍‌ ଜ୍ଞାନ୍‌ କେ କ୍ଷେତ୍ରୋଁ ମେଁ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଧା କରତି ଥିଁ ।

ପ୍ରାଚିନ୍‌ ଅରବ୍‌ ସଂସ୍କୃତିୟୋଁ କି ତୁଲନା ମେଁ ଇସ୍ଲାମ୍‌ ନେ ମହିଳାଠାଂ କି ସ୍ଥିତି ମେଁ କାଫି ସୁଧାର୍‌ କିଆ ହେ । ଉସନେ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ପର୍‌ ରୋକ୍‌ ଲଗାଈ ଓର୍‌ ମହିଳାଠାଂ କୋ ଏକ୍‌ ସ୍‌ବତନ୍ତ୍ର୍‌ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍‌ବ୍‌ ବନାୟା । ଉସନେ ବିବାହ୍‌ କେ ସଂବନ୍ଧ୍‌ ମେଁ ସଂବିଦାତ୍‌ମକ୍‌ ମାମଲୋଁ କୋ ମି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ୍‌ କିଆ, ଜହାଁ ମହିଳାଠାଂ କେ ଲିଏ୍‌ ମହର୍‌ କେ ଅଧିକାର୍‌ କୋ ସଂରକ୍ଷିତ୍‌ କିଆ, ଉନ୍ହେଁ ବିରାସତ୍‌ କା ଅଧିକାର୍‌ ତଥା ନିଜି ସଂପତ୍ତି କା ଅଧିକାର୍‌ ଦିଆ ଓର୍‌ ଯହ୍‌ ହକ୍‌ ଦିଆ କି ଅପନେ ଧନ କା ଖୁଦ୍‌ ପ୍ରବନ୍ଧ୍‌ କର ସକତି ହେଁ ।

ଅଲ୍ଲାହ୍‌ କେ ରସୂଲ୍‌ -ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି ବ୍‌ ସଲ୍ଲମ୍‌- ନେ ଫରମାୟା ହେ : "ସବ୍‌ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ୍‌ ଈମାନ୍‌ ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବହ୍‌ ହେ, ଜୋ ସବ୍‌ସେ ଅଚ୍ଛେ ଆଚରଣ ବାଲା ହୋ ଓର୍‌ ତୁମ୍‌ହାରେ ଅନ୍ଦର୍‌ ସବ୍‌ସେ ଉତ୍ତମ୍‌ ବ୍ୟକ୍ତି ବହ୍‌ ହେ, ଜୋ ଅପନି ପତ୍ନିୟୋଁ କେ ହକ୍‌ ମେଁ ସବ୍‌ସେ ଅଚ୍ଛା ହୋ ।" [215] [ଇସେ ଇମାମ୍‌ ତିର୍ମିଜି ନେ ରିବାୟତ୍‌ କିଆ ହେ ।]

"ନି:ସନ୍ଦେହ୍‌ ମୁସଲମାନ୍‌ ପୁରୁଷ୍‌ ଓର୍‌ ମୁସଲମାନ୍‌ ସ୍ତ୍ରିୟାଁ, ଈମାନ୍‌ ବାଲେ ପୁରୁଷ୍‌ ଓର୍‌ ଈମାନ୍‌ ବାଲି ସ୍ତ୍ରିୟାଁ,

आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारिणी स्त्रियाँ, सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्रियाँ, धैर्यवान पुरुष और धैर्यवान स्त्रियाँ, विनम्रता दिखाने वाले पुरुष और विनम्रता दिखाने वाली स्त्रियाँ, सदका (दान) देने वाले पुरुष और सदका देने वाली स्त्रियाँ, रोज़ा रखने वाले पुरुष और रोज़ा रखने वाली स्त्रियाँ, अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले पुरुष और रक्षा करने वाली स्त्रियाँ तथा अल्लाह को अत्यधिक याद करने वाले पुरुष और याद करने वाली स्त्रियाँ, अल्लाह ने इनके लिए क्षमा तथा महान प्रतिफल तैयार कर रखा है।" [216] [सूरा अल-अहज़ाब : 35]

"ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए हलाल (वैध) नहीं कि ज़बरदस्ती स्त्रियों के वारिस बन जाओ। और उन्हें इसलिए न रोके रखो कि तुमने उन्हें जो कुछ दिया है, उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इसके कि वे खुली बुराई कर बैठें। तथा उनके साथ भली-भाँति जीवन व्यतीत करो। फिर यदि तुम उन्हें नापसंद करो, तो संभव है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत ही भलाई रख दे।" [217] [सूरा अन-निसा : 19]

"ऐ लोगो! अपने उस पालनहार से डरो, जिसने तुम्हें एक जीव (आदम) से पैदा किया तथा उसी से उसके जोड़े (हव्वा) को पैदा किया और उन दोनों से बहुत-से नर-नारी फैला दिए। उस अल्लाह से डरो, जिसके माध्यम से तुम एक-दूसरे से माँगते हो, तथा रिश्ते-नाते को तोड़ने से डरो। निःसंदेह अल्लाह तुम्हारा निरीक्षक है।" [218] [सूरा अल-निसा : 1]

"जो भी अच्छा कार्य करे, नर हो अथवा नारी, जबकि वह ईमान वाला हो, तो हम उसे अच्छा जीवन व्यतीत कराएँगे। और निश्चय हम उन्हें उनका बदला उन उत्तम कार्यों के अनुसार प्रदान करेंगे जो वे किया करते थे।" [219] [सूरा अनल-नह्ल : 97]

"वे तुम्हारे लिए वस्त्र हैं और तो तुम उनके लिए वस्त्र हो।" [220] [सूरा अल-बकरा : 187]

"तथा उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके पास शांति प्राप्त करो। तथा उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रख दी। निःसंदेह इसमें उन लोगों के लिए बहुत-सी निशानियाँ हैं, जो सोच-विचार करते हैं।" [221] [सूरा अल-रूम : 21]

"(ऐ नबी!) लोग आपसे स्त्रियों के बारे में फ़तवा (शरई हुक्म) पूछते हैं। आप कह दें कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में फ़तवा देता है, तथा किताब की वे आयतें भी जो अनाथ स्त्रियों के बारे में तुम्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं, जिन्हें तुम उनके निर्धारित अधिकार नहीं देते और तुम चाहते हो कि उनसे विवाह कर लो, तथा कमज़ोर बच्चों के बारे में भी यही हुक्म है, और यह कि तुम अनाथों के मामले में न्याय पर कायम रहो। तथा तुम जो भी भलाई करते हो, अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है। और यदि किसी स्त्री को अपने पति की ओर से ज्यादाती या बेरुखी का डर हो, तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि आपस में समझौता कर लें और समझौता कर लेना ही बेहतर है। तथा लोभ एवं कंजूसी तो मानव स्वभाव में शामिल है। परंतु यदि तुम एक-दूसरे के साथ उपकार करो और (अल्लाह से) डरते रहो, तो निःसंदेह अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है।" [222] [सूरा अल-निसा : 127,128]

अल्लाह तआला ने पुरुषों को महिलाओं पर खर्च करने और अपने धन को संरक्षित करने का आदेश दिया है, बिना इसके कि परिवार के प्रति महिला का कोई भी वित्तीय दायित्व हो। इस्लाम ने महिला के व्यक्तित्व और पहचान को भी संरक्षित किया, जैसा कि वह अपने पति से जुड़ने के बाद भी अपने (नाम के साथ) अपने परिवार का नाम बाक़ी रख सकती है।

දුස්මාමය පිළිබඳ ජර්ඝන හා පිළිතුරු

අනුමතය: <https://www.dhammadownload.com/91/>

අනුමතය අනුමතය: <https://www.dhammadownload.com/91/>

අනුමතය 1෨෨ ෨෨෨෨ 2026 09:29:22 ෨෨